

Detailed Violation Report

दिनांक 10.01.2022 को गांव लोहानी में भिवानी लोहारू रोड की हलका वन रक्षक द्वारा गस्त की गई। गस्त के दौरान पाया गया कि गांव लोहानी में पेट्रोल पम्प के D-Area में सुरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करके नाले का निर्माण किया हुआ है। जिसके लिए सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी द्वारा वन विभाग से कोई अन्नापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी द्वारा वनभूमि का इस्तेमाल करके भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना की गई है। इस उल्लंघना के लिए सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी के खिलाफ वन अपराध रिपोर्ट नं० 086/0679 दिनांक 10.01.2022 चाक कर दी गई है तथा इसकी मंजूरी हेतु श्री सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी को एफ० सी० ए० - 1980 के तहत प्रस्ताव बनाकर वन मण्डल कार्यालय, भिवानी में देने हेतु कहा गया। इस केस की स्वीकृति हेतु पैनल सी०ए० सहित केस स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।


Divisional Forest Officer,
BHIWANI FOREST DIVISION
BHIWANI